(d) whether it is a fact that the quality of Indian products in the developed countries is found not upto the mark; and

(e) if so, to what extent the steps taken by Government will ensure qualitative production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) An Inter-Ministerial Task Force set up under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Civil Supplies and Public Distribution is presently examining this matter and will suggest suitable steps to be taken in this regard.

(d) No, Sir, most products compare favourably with those developed countries.

(e) The Bureau has already launched quality system certification to help the Indian industry to improve quality of their products to boost exports.

Amalgamation of ISI, Agmark, Wool mark etc.

2103. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to amalgamate the ISI, Agmark, Woolmark, ICAR and CSIR to formulate policies and guidelines for upgradation of all domestic, industrial and agricultural products conforming to the International standards; and

(b) if so, the details thereof; and the details of suggestions received from the European Economic Community;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) No suggestions have been received from the European Economic Community in this connection.

खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों का जनसंख्या के आधार पर आवंटन

2104. श्री रामसिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को 1990-91 की जनसंख्या के आधार पर खाद्यानों, खाद्य तेलों और चीनी का आवंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को प्रत्येक वस्तु कितनी मात्रा में आवंटित की गई है ; और

(ग) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत के क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) और (ख) खाद्यानों (चावल और गेहूं) तथा आयातित खाद्य तेल का आवंटन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, केन्द्रीय पूल में उपलब्धता की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं आदि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन सामान्यता 1-10-86 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदंड पर किया जाता है । तथापि, केंद्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आवंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय लिया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है तथा